



विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

R.R. 118616949 IN
4/12

संख्या / No.....
पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2017-18/3/30

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date.....01.12.2017

Pen 6

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),

आन्ध्र प्रदेश, शेफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

O/o Pri. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
23-NOV-17



494530

विषय:- दिनांक 01.10.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, जो राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन बाबत।

प्रसंग:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स /2017 दिनांक 30.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्रांक प.5(294)निपेवि/नियम/2017/1666-H दिनांक 20.11.2017 द्वारा राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(6) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दिनांक 01.10.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर के पेंशन संशोधन हेतु पेंशन वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी को अधिकृत किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का धम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का धम करे।

सलग्न:- ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 की प्रति

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (ले.एवं ह) Office of the Pri. Accountant General (A&E) INWARD 06 DEC 2017 No..... Hyderabad, Hyderabad Telangana - Hyderabad-500 004.

PM-15

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

12-12-17
PM-4

trf to
PM-06/15
on 12/12/17

PR-200